न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 20/15 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस सख्या :– 2015/00008

उनवान

1. चेतराम } पुत्रान जगन
2. डंगूर }
3. पन्नी पुत्र जगना (मृत)
   - 3/1. विशना पत्नी
   - 3/2. भगवत } पुत्र
   - 3/3. सुनील } पुत्र
   - 3/4. संजय } पुत्र
   - 3/5. बबीता पुत्री

   (3/1 – 3/5) } स्व0 पन्नी

} जाति धोबी निवासी नदबई तह0 नदबई जिला भरतपुर।

.................अपीलाण्ट

बनाम

1. मनीराम पुत्र नानगा (मृत)
   - 1/1. लाडवाई पत्नी
   - 1/2. अशोक } पुत्र
   - 1/3. चिन्टू } पुत्र

   (1/1 – 1/3) } स्व0 मनीराम
2. पूरन पुत्र नानगा
3. हेतराम पुत्र चंदर
4. रामखिलाडी उर्फ खिलाडी पुत्र चंदर (मृत)
   - 4/1. खेमचन्द } पुत्र
   - 4/2. सुनील } पुत्र
   - 4/3. सावित्री पत्नी

   (4/1 – 4/3) } स्व0 खिलाडी
5. मदन } पुत्रान चंदर
6. प्रेमचन्द } पुत्रान चंदर
7. महेन्द्र } पुत्रान चंदर
8. बृजेन्द्र } पुत्रान गड्डर
9. देवीराम } पुत्रान गड्डर
10. अमरचन्द } पुत्रान गड्डर
11. संजय } पुत्रान गड्डर
12. मंगे. वेवा गड्डर जाति धोबी

(1 – 12) } जाति धोबी निवासी कस्बा नदबई जिला भरतपुर।

13. राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

14. सब रजिस्टार नदबई

......................रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई दि0 29.12.2014 मि.नं. 151/12 उनवानी मनीराम आदि बनाम पन्नी।

अपील संख्या:— 17/15 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :— 2015/00008

1. पन्नी पुत्र जगना (मृत)
   - 1/1. विशना पत्नी
   - 1/2. भगवत
   - 1/3. सुनील
   - 1/4. संजय
   - 1/5. बबीता पुत्री

   (1/2–1/4: पुत्र; 1/1–1/5: स्व0 पन्नी जाति धोबी निवासी कस्बा नदबई तह0 नदबई जिला भरतपुर।)
2. डूंगर
3. चेतराम

   (2–3: पुत्र जगना जाति धोबी निवासी कस्बा नदबई तह0 नदबई जिला भरतपुर।)

......................अपीलांट।

बनाम

1. मनीराम पुत्र नानगा (मृत)
   - 1/1. लाडवाई पत्नी
   - 1/2. अशोक
   - 1/3. चिन्टू

   (1/2–1/3: पुत्रान; 1/1–1/3: स्व0 मनीराम)
2. पूरन पुत्र नानगा
3. हेतराम पुत्र चंदर
4. रामखिलाडी उर्फ खिलाडी पुत्र चंदर (मृत)
   - 4/1. खेमचन्द
   - 4/2. सुनील
   - 4/3. सावित्री पुत्री

   (4/1–4/2: पुत्रान; 4/1–4/3: स्व0 खिलाडी)
5. मदन
6. प्रेमचन्द
7. महेन्द्र

   (5–7: पुत्रान चंदर)
8. बृजेन्द्र
9. देवीराम
10. अमरचन्द
11. संजय

   (8–11: पुत्रान गड्डर)

(1–11: जाति धोबी निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।)

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

12. मंगे बेवा गड्डर जाति धोबी
13. राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई दि0 29.12.2014 मि.नं. 180/12 उनवानी पन्नी बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक—09.01.2024

1. यह दोनों अपीले अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय दिनांक 29.12.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। दोनों अपीलो में विवाद बिन्दु, विवादित आराजी एवं समान पक्षकार होने के कारण एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में शामिल मिसल की जावें।

2. अपील संख्या 20/15 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1028 रकवा 1.06 है0 वाके कस्बा नदबई प्रथम स्थित है। उक्त आराजी मुतदाविया पूर्व में सिवायचक थी। जिसमें वादीगण रैस्पो0 के बाबा झाबूला सालाना पटटे पर काश्त करता था। वादीगण रैस्पो0 के बाबा का देहान्त हो चुका है उनके देहान्त के पश्चात् आराजी मुतदाविया पर वादीगण रैस्पो0 तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता चन्दन, नानगा व जगना काबिज हुये। झाबूला की मृत्यु के समय वादीगण के पिता नानगा व चन्दर नाबालिग थे एवं कर्ता खानदान वादीगण रैस्पो0 के पिता जगना बडे भाई थे। जिससे आराजी मुतदाविया का पट्टा भी सुगना के नाम कराया गया। वादीगण रैस्पो0 व प्रतिवादीगण के पिता का संयुक्त परिवार था। वादीगण के पिता भी सुगना के संरक्षण में आराजी मुतदाविया पर काश्त करते थे। उनकी मृत्यु के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण आराजी बेंटवारे से तीनो भाईयो की संतान अपने—अपन हिस्से की भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं। आज भी विवादित आराजी के तीन हिस्से हो रहे हैं। परन्तु आराजी मुतदाविया पर कर्ता खानदान होने व पट्टाकर्ता होने के कारण प्रतिवादीगण असल के पिता सुगना के नाम इन्द्राज गैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

खातेदारी के चले आ रहे हैं। सुगना की मृत्यु के बाद आराजी मुतदाविया के इन्द्राज प्रतिवादीगण असल के नाम हो गये। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादीगण असल वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवदेन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से आंशिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. अपील संख्या 20/15 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1028 रकवा 1.06 है0 वाके कस्बा नदबई प्रथम स्थित है। उक्त आराजी मुतदाविया पूर्व में सिवायचक थी। जिसमें वादीगण अपीलाण्ट के बाबा झाबूला सालाना पटटे पर काश्त करता था। वादीगण रैस्पो0 के बाबा का देहान्त हो चुका है उनके देहान्त के पश्चात् आराजी मुतदाविया पर वादीगण अपीलाण्ट काबिज हुये। परन्तु उन्हें आज तक राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार दर्ज कर रखा है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस अभिभाषक रैस्पो0 ने (NO ISTRUCTION) हिदायत पैरवी ना होना जाहिर किया। हस्ताक्षर आदेशिका पर कराये गये। तत्पश्चात् बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी को लेकर दो दावे हुये, पक्षकार तीन भाई क्रमशः जगना, नानगा, चन्दर थे। एक दावा नानगा व चन्दर के वारिसो ने किया, जो अपीलाधीन आदेश से अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री कर दिया एवं दूसरा दावा अपीलाण्ट ने किया, जो खारिज कर दिया। जबकि विवादित आराजी जगना के नाम कीमतन आवंटन हुयी थी। राजस्व अभिलेख में गैर मौरूसी अंकित होने से कोई भी अधिकार तीनो भाईयो को विरासत में नहीं मिलते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 मौखिक कथनो के आधार पर तय की है। जबकि नियमानुसार मौखिक साक्ष्य पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाण्ट के पूर्वज विवादित आराजी पर शुरू से ही पट्टेदार चले आ रहे हैं। विवादित भूमि वर्तमान में कस्टोडियन भूमि नहीं रही है। दिनांक 15.10.1955 को कोई भी काश्तकार शिकमी को छोडकर काश्तकार की परिभाषा में आता है। पट्टेदार भी काश्तकार ही माना जावेगा। धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होगी। इस आधार पर स्वतः ही खातेदार हो गया जगना। इस प्रकार विवादित आराजी में नानगा, चन्दर को अथवा उनके वारिसो को कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं। पट्टा भी केवल जगना के ही नाम था ना कि संयुक्त। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा घोषित करने का आदेश दिया है जो बिल्कुल ही विधि विरूद्ध है। बिना खातेदारी के कब्जा घोषित नहीं किया जा सकता है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी कब्जा तय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलाण्ट का दावा डिक्री होना चाहिये था एवं रैस्पो0 का दावा खारिज होना चाहिये था। अंत में अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2022–23 पेज 639, आरआरडी 1999 पेज 333, आरएलडब्ल्यू 1960 पेज 1, आरआरडी 1976 पेज 317 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इन दोनों वादो को तय करने हेतु चार तनकियॉ कायम की गयी हैं। जिसमें तनकी संख्या 01 महत्वपूर्ण तनकी है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

7. तनकी संख्या 01– अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को तय करते समय किसी भी दस्तावेजी की विवेचना नहीं की जाकर, मात्र मौखिक कथन/बयानो के आधार पर कयासो के आधार पर तय की गयी है। जबकि अपीलाण्ट विवादित आराजी के शुरू से ही बतौर पट्टेदर दर्ज रहे हैं एवं बाद में उन्हें गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी में विवादित आराजी को कस्टोडियन होना माना है। परन्तु विवादित आराजी अपीलाण्ट को जरिये कीमतन आवंटन होने एवं पट्टा मिलने के पश्चात् उनके गैर खातेदारी अंकन होने से विवादित आराजी को कस्टोडियन भूमि नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी कब्जा तय नहीं किया जा सकता। रैस्पो0 स्वयं को विवादित आराजी का अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष जगना को पट्टे पर मिलने के समय नाबालिग होना कथन करते हैं। परन्तु उनके द्वारा उस समय नाबालिग होने एवं अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष का कर्ताखानदान होने के तथ्य को किसी भी दस्तावेज से सिद्ध नहीं किया है एवं ना ही दावे के शीर्षक में अपनी उम्र ही अंकित की गयी है। लिहाजा बिना दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक कथन सारपूर्ण नहीं है। तनकी को पुनः विनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

8. तनकी संख्या 02, 03, 04– तनकी संख्या एक से प्रभावित होती है। अतः विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

9. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2014 निरस्त किये जाकर उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का विधिवत अवसर देते हुये, पुनः दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पुनः विधि सम्मत एवं बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.02.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 09.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.01.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर